संख्या-168/2025/1618/सैंतीस-2-2025-1(14)/2024

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2- **निदेशक,**
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-10 अक्टूबर, 2025

विषयः- **अनुदान संख्या 15 के अधीन पशुपालकों एवं पशुपालन विभाग के कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना के संचालन हेतु गाइडलाईन्स।**

महोदय,

अवगत हैं कि भारत का सर्वाधिक पशुधन जैव विविधता से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में है। उ0प्र0 में पशुपालन क्षेत्र राज्य के कृषि सकल मूल्य वर्धित में लगभग (जीवीए) 27 प्रतिशत और उ0प्र0 सकल घरेलू उत्पाद में लगभग (जीडीपी) 6.8 प्रतिशत का योगदान करता है। प्रदेश के पशुपालन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 14 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ना अपेक्षित है, जोकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.43 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2028-29 में 2.75 लाख करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में दुग्ध, बकरी व भेड़ का मॉस, पोल्ट्री अण्डे व मॉस का प्रमुख योगदान है, जिसके लिए राज्य के पशुपालकों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। अतएव राज्य के पशुपालकों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने हेतु पशुपालकों एवं पशुपालन विभाग के लिए एक प्रशिक्षण और विस्तार कार्यकम प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता है, जिससे वे सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों एवं नवीन उत्पादन पद्धति को अपनाते हुए पशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार और प्रभावी रोग नियंत्रण में योगदान कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पशुपालकों एवं पशुपालन विभाग के कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी गाइडलाइन्स निम्नवत् है:-

पशुपालकों एवं पशुपालन विभाग के कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना

1- योजना की पृष्ठभूमि :-

जैव विविधता से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारत का सर्वाधिक पशुधन है। वर्ष 2019 की 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रदेश में 190.20 लाख गोवंश, 330.17 लाख महिषवंश, 9.85 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भेड़, 114.8 लाख बकरी एवं 4.09 लाख सूकर हैं। प्रदेश में वर्ष 2023-24 में 387.79 लाख मैट्रिक टन दुग्ध, 589.48 करोड़ अण्डा, 1259 हजार टन मांस तथा 8.28 लाख किलो ऊन उत्पादन हुआ है। उ0प्र0 में पशुपालन क्षेत्र राज्य के कृषि सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में लगभग 27 प्रतिशत और उ0प्र0 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 6.8 प्रतिशत का योगदान करता है। एन.एस.एस. के 77वें राउण्ड (2019) के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत कृषक पशुपालन कार्य में लगे हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में उ0प्र0 दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और देश के कुल दुग्ध उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान करता है।

2- <u>योजना का उद्देश्यः</u>

- प्रशिक्षण एवं प्रसार के माध्यम से पशुपालकों के पशुपालन सम्बन्धी ज्ञान व पशु प्रबन्धन दक्षता में वृद्धि करते हुए पशुधन उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना, जिससे प्रदेश की 01 ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में विभाग द्वारा महत्वपूर्ण योगदान हो सके।
- पशुपालकों को पशुपालन में नवीनतम तकनीकों और ज्ञान से सशक्त करना जिसमें प्रजनन पोषण, रोग प्रबन्धन, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, पशु अपशिष्ट प्रबन्धन से इनकी आय में वृद्धि हो।
- उत्तर प्रदेश के पशुओं/पोल्ट्री की उत्पादकता (दुग्ध, अण्डा, माँस, ऊन इत्यादि) में वृद्धि। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, जिससे राज्य में डेयरी प्रसंस्करण के लिये अधिक निजी निवेश आकर्षित हों।
- पशु अपशिष्ट जैसे गाय के गोबर व गोमूत्र का सदुपयोग करना।
- पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा कुशल स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुनिश्चित किया जाना।
- पशुपालन विभाग के अधिकारियों की क्षमताओं में वृद्धि करना, जिससे पशु स्वास्थ्य सेवा कृत्रिम गर्भाधान, आहार, टीकाकरण आदि के क्षेत्र में सर्वोत्तम और उन्नत स्टैण्डर्ड व परिप्रेक्ष्य विकसित हो सके।
- पशुपालकों तथा राज्य की आय में वृद्धि।
- बेहतर आहार एवं प्रबन्धन से उच्च स्तरीय उत्पादकता।
- उत्पादकता आधारित व लक्षित प्रसार कार्यक्रम से पशुपालकों के ज्ञान व कौशल विकास में वृद्धि।
- पशुपालकों की पशु प्रजनन, पोषण व रोग प्रबन्धन में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- पशुपालकों को चारा उत्पादन की नवीन पद्धति के साथ-साथ चारा के संरक्षण के सम्बन्ध में जागरूक करना व ज्ञान वृद्धि करना।

3- <u>योजना का स्वरुपः-</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश के पशुपालन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 14 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ना अपेक्षित है, जोकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.43 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2028-29 में 2.75 लाख करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है तथा यह उत्तर प्रदेश के 01 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य का भाग है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में दुग्ध, बकरी व भेड़ का माँस, पोल्ट्री अण्डे व माँस का प्रमुख योगदान है। इसके लिए राज्य के पशुपालकों एवं फील्ड कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं विस्तार का महत्व है। लक्षित हितधारकों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से पशुपालकों एवं पशुपालन विभाग के लिए एक प्रशिक्षण और विस्तार कार्यकम प्रारम्भ किया जाना है। इससे वे सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों एवं नवीन उत्पादन पद्धति को अपनाते हुए पशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार तथा उन्नत प्रजनन तकनीकों को अपनाने और प्रभावी रोग नियंत्रण में योगदान कर सकेंगे साथ ही राज्य में पशुपालन सम्बन्धी उत्पादकता में वृद्धि और निजी निवेश में वृद्धि में योगदान भी करेंगे। योजना के संचालन से पशुपालन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

4- **<u>योजना का आच्छादन :-</u>**

योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद से विभाग के 02 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर निर्मित प्रशिक्षण सामग्री पर 05 दिवसों के लिए पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/कृषि विश्वविद्यालय/केन्द्रीय शोध संस्थानों में 06 बैच में प्रशिक्षित किया जायेगा। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा फील्ड अधिकारियों तथा मेरिटोरियस पैरावेट्स (जिनका कार्य सराहनीय है) को पृथक-पृथक समूहों में 01 दिवस प्रति समूह के लिए प्रशिक्षण सामग्री के आधार पर प्रशिक्षित किया जायेगा। क्षेत्रों में योजना के प्रारम्भ एवं योजना के पश्चात के उत्पादन सम्बन्धी डाटा को एकत्रित किया जायेगा।

चयनित पशुपालकों को 01 दिवस के लिए मॉड्यूल के आधार पर निर्मित प्रशिक्षण सामग्री पर पृथक-पृथक समूहों में विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री तथा वीडियोज को फील्ड अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया तथा अन्य प्लेटफार्म के माध्यम से समय-समय पर प्रसारित किया जाता रहेगा, जिससे यह प्रदेश के समस्त पशुपालकों तक पहुँच सके तथा उन पर निर्णायक प्रभाव छोड़ सके। कुछ प्रगतिशील पशुपालकों तथा पशुपालन से सम्बन्धित फार्म स्थापित करने में इच्छुक व्यक्तियों का चयन फील्ड अधिकारियों के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा, जिन्हें केन्द्रीय शोध संस्थानों तथा विभिन्न राज्यों में प्राइवेट फार्मों आदि में एक्सपोज़र विजिट हेतु ले जाया जायेगा।

5- <u>वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यः-</u>

क्र0	विवरण	कुल व्यय लाख में	भौतिक लक्ष्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण	13.725	150
2	फील्ड अधिकारियों, मैत्री पैरावेटों का प्रशिक्षण	12.80	6400
3	पशुपालकों का प्रशिक्षण	206.50	165200
4	प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण	267.00	171400 प्रशिक्षण पुस्तिकाएं
5	योजना से सम्बन्धित यात्रा पर व्यय	4.00	--
6	पशुपालन विभाग के अधिकारियों, प्रगतिशील व जागरूक पशुपालकों तथा पशुपालन से सम्बन्धित फार्म स्थापित करने में इच्छुक व्यक्तियों की विभिन्न राज्यों में फार्मों तथा सबंधित संस्थानों पर एक्सपोजर विजिट व अन्य सम्बन्धित कार्य	195.975	एक्सपोजर विजिट व अन्य सम्बन्धित कार्य
योग-		**700.00**	

6- <u>आवेदन हेतु पात्रता :-</u>

<u>6.1 प्रशिक्षण :-</u>

पशुपालकों का चयन उनके स्वामित्व वाले पशुधन की संख्या के घटते क्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा। प्रति विकासखण्ड 200 पशुपालकों का चयन किया जायेगा। प्रत्येक पंचायत का प्रतिनिधित्व प्रगतिशील पशुपालकों द्वारा किया जायेगा।

<u>6.2 एक्सपोजर विजिट :-</u>

प्रगतिशील पशुपालक तथा पशुपालन से सम्बन्धित फार्म स्थापित करने में इच्छुक व्यक्ति जो बड़ी डेयरी, पोल्ट्री फार्म, बकरी फार्म, भेड़ फार्म या सूकर फार्म स्थापित करने में इच्छुक हैं, उन्हें केन्द्रीय शोध संस्थान जैसे- भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) बरेली, केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (CARI) बरेली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) करनाल, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (CGRI) मथुरा, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान (CIRB) हिसार, राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केन्द्र गुवाहाटी इत्यादि में एक्सपोजर विजिट हेतु ले जाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न राज्यों में प्राइवेट फार्मों आदि पर भी ले जाया जायेगा। ऐसे पशुपालकों/व्यक्तियों का चयन निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के निर्देशन में सम्बन्धित मण्डलों के अपर निदेशक ग्रेड-2 के माध्यम से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से किया जायेगा।

7- <u>लाभार्थियों का चयन :-</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विकासखण्ड स्तर पर स्थापित पशु चिकित्सालयों पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधानों के सहयोग से पात्र पशुपालकों के आवेदन उनके स्वामित्व वाले पशुधन की संख्या के घटते क्रम में करते हुए सूची तैयार कर जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। पशुपालकों के आवेदनों की सूची के आधार पर प्रशिक्षण के लिए पशुपालकों का चयन जनपदीय चयन समिति द्वारा किया जावेगा। जनपद स्तरीय चयन समिति निम्नवत् होगी :-

अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग (सम्बन्धित मण्डल)	अध्यक्ष
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (जनपद मुख्यालय) अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा नामित उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	सदस्य/सचिव
दुग्ध विकास विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य

8- <u>समिति के कार्य एवं दायित्व :-</u>

- समिति की बैठक आवश्यकतानुसार अपर निदेशक ग्रेड-2 (सम्बन्धित मण्डल) की अध्यक्षता में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाना।
- कार्यक्रम को प्रचारित/प्रसारित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही निर्धारित करना एवं उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
- पात्र व्यक्तियों का नियमानुसार चयन करना।
- योजना में निहित वित्तीय उपाशय का प्रभावी अनुश्रवण एवं समीक्षा के साथ पठनीय तथा स्वच्छ अभिलेखीकरण हेतु दिशा-निर्देश निर्गत कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
- योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना।
- प्रशिक्षण के दिवसों में सम्बन्धित विकास खण्ड पर समुचित व्यवस्था तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता के आकलन सम्बन्धी भ्रमण/निरीक्षण हेतु नोडल अधिकारी को नामित करना तथा उनकी रिपोर्ट को आगामी बैठक में संज्ञान में लेना।
- समिति के सदस्य सचिव का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त समिति अध्यक्ष से अनुमोदनोपरान्त निदेशालय को प्रेषित किया जाय।

9- <u>आवेदन की प्रक्रिया :-</u>

<u>9.1 प्रशिक्षण :-</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्धित पशुपालकों से सहमति/आवेदन पत्र प्राप्त कर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय प्रेषित किये जायेंगे। अतः प्रत्येक विकास खण्ड से कुल 200 पशुपालकों के आवेदन पत्र प्राप्त कर जनपद स्तरीय कार्यालय में प्रेषित किए जायेंगे, जिन्हें जनपद स्तरीय समिति द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा।

9.2 एक्सपोजर विजिट :-

प्रगतिशील पशुपालकों तथा पशुपालन से सम्बन्धित फार्म स्थापित करने में इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त कर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित किए जायेंगे। विजिट सम्बन्धी संस्थाओं तथा फार्मों का टूर प्रोगाम जनपद स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित कर निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। चयनित पशुपालकों की संख्या, एक्सपोजर विज़िट हेतु निर्धारित किए जाने वाले संस्थानों तथा यात्रा पर सम्भावित व्यय के आधार पर प्रति जनपद बजट का आवंटन निदेशालय स्तर से किया जायेगा। एक्सपोजर विजिट में जनपद स्तर पर समिति द्वारा एक अधिकारी तथा निदेशालय स्तर पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा एक अधिकारी नामित किया जायेगा।

10- योजना का क्रियान्वयन :-

10.1 मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण :-

प्रत्येक जनपद से 02 जागरूक अधिकारियों का चयन सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-2 एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार मास्टर ट्रेनर्स के समूह में 150 उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारी/प्रक्षेत्र प्रबन्धक एवं चारा विकास अधिकारी सम्मिलित होंगे, जो प्रशिक्षण उपरान्त पशुपालन विभाग के अन्य फील्ड अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मेरिटोरियस मैत्री पैरावेटों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। योजना के राज्य नोडल अधिकारी 150 मास्टर ट्रेनर्स की सूची को अंतिम रूप देंगे। मास्टर ट्रेनर्स को 05 दिनों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर निर्मित प्रशिक्षण सामग्री पर प्रशिक्षित किया जायेगा। मास्टर ट्रेनर्स को राज्य के पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, केन्द्रीय शोध संस्थानों में 06 बैच में प्रशिक्षित किया जाएगा।

10.2 फील्ड अधिकारियों, मैत्री पैरावेटों का प्रशिक्षण :-

फील्ड अधिकारियों तथा मैत्री पैरावेटों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जनपद स्तर पर पृथक-पृथक समूहों में प्रशिक्षित किया जायेगा तथा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इनके माध्यम से योजना से सम्बन्धित कार्य व डाटा कलेक्शन को सुनिश्चित कराया जायेगा। फील्ड अधिकारियों में समस्त उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी एवं पशुधन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रसार अधिकारी सम्मिलित होंगे। मैत्री पैरावेट्स, जिनका कार्य सराहनीय हो, को भी मास्टर ट्रेनर्स द्वारा पृथक समूह में प्रशिक्षित किया जायेगा।

फील्ड अधिकारियों तथा मैत्री पैरावेट्स का 01 दिवसीय प्रशिक्षण निर्धारित प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर निर्मित प्रशिक्षण सामग्री के अन्तर्गत जनपद स्तर पर कराया जायेगा। फील्ड अधिकारियों की संख्या कुछ कम होने की स्थिति में मेरिटोरियस पैरावेट्स की संख्या उतनी ही बढ़ा ली जायेगी, जिससे प्रदेश में इनकी कुल संख्या 6,400 रहेगी।

10.3 पशुपालकों का प्रशिक्षण :-

पशुपालकों को फील्ड अधिकारियों द्वारा विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों तथा पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रगतिशील व जागरूक पशुपालकों का चयन ग्राम प्रधानों के सहयोग से किया जायेगा। योजना से सम्बन्धित सूचना व समस्त जानकारी को फील्ड के समस्त पशुपालकों तक प्रचारित/प्रसारित करने में ग्राम प्रधानों से सहयोग लिया जायेगा। पशुपालकों को 01 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

10.4 प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण :-

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण एक उपयुक्त रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल (Request for Proposal) प्रक्रिया के माध्यम से पशुपालन विभाग तथा साझेदार संस्थानों/एजेन्सियों के द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण सम्बन्धी वीडियोज भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) बरेली, केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान सस्थान (CARI) बरेली तथा पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (DUVASU) मथुरा से निःशुल्क प्राप्त किए जायेंगे। इस सम्बन्ध में उक्त संस्थानों के प्रचार-प्रसार विभागों के सहयोग से आवश्यकतानुसार कुछ विषयों पर नये वीडियोज/शार्ट फिल्म्स भी बनाई जा सकेंगी। इन वीडियोज को विभाग द्वारा फील्ड में प्रसारित किया जायेगा। प्रशिक्षण सामग्री के निर्माण सम्बन्धी कार्य निदेशालय स्तर से निर्धारित किये जायेंगे।

10.5 प्रगतिशील पशुपालक तथा पशुपालन से सम्बन्धित फार्म स्थापित करने में इच्छुक व्यक्तियों की एक्सपोजर विजिट :-

प्रगतिशील पशुपालक तथा पशुपालन से सम्बन्धित फार्म स्थापित करने में इच्छुक व्यक्ति, जो बड़ी डेयरी, पोल्ट्री फार्म, बकरी फार्म, भेड़ फार्म या सूकर फार्म स्थापित करने में इच्छुक हैं, उन्हें केन्द्रीय शोध संस्थान जैसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) बरेली, केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (CARI) बरेली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) करनाल, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (CGRI) मथुरा, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान (CIRB)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हिसार, राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केन्द्र गुवाहाटी इत्यादि में एक्सपोजर विजिट हेतु ले जाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न राज्यों में प्राइवेट फार्मों आदि पर भी ले जाया जायेगा। ऐसे पशुपालकों/व्यक्तियों का चयन निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के निर्देशन में जनपद स्तरीय समितियों द्वारा सम्बन्धित मण्डलों के अपर निदेशक ग्रेड-2 की अध्यक्षता में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं पशु विकित्सा अधिकारियों के सहयोग से किया जायेगा।

10.6 प्रशिक्षण सम्बन्धी वीडियोज :-

प्रशिक्षण सम्बन्धी वीडियोज का निर्माण/व्यवस्था निदेशालय स्तर से की जायेगी। प्रशिक्षण सम्बन्धी वीडियोज भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) बरेली, केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (CARI) बरेली तथा पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (DUVASU) मथुरा से निःशुल्क प्राप्त किए जायेंगे। इस सम्बन्ध में उक्त संस्थानों के प्रचार-प्रसार विभागों के सहयोग से आवश्यकतानुसार कुछ विषयों पर नये वीडियोज/शार्ट फिल्म्स भी बनाई जा सकेंगी। इन वीडियोज को विभाग द्वारा जनपद स्तर से फील्ड में प्रसारित किया जायेगा। प्रशिक्षण सम्बन्धी वीडियोज को विभिन्न अन्तरालों पर फील्ड अधिकारियों द्वारा प्रदेश के समस्त पशुपालकों तक सोशल मीडिया तथा अन्य प्लेटफार्म से समय-समय पर प्रसारित किया जाता रहेगा, जिससे यह प्रत्येक पशुपालक तक पहुँच सकें तथा उन पर निर्णायक प्रभाव छोड़ सकें। इसके प्रसार से अत्यन्त सकारात्मक परिणाम अपेक्षित होंगे। राज्य के प्रत्येक पशुपालक का प्रशिक्षण विभिन्न अन्तरालों पर निरन्तर चलता रहेगा। इसके लिए समस्त पशुपालकों की सूची मोबाइल फोन नं0 सहित पशु चिकित्सालय स्तर पर तैयार की जायेगी तथा पशुधन प्रसार अधिकारियों एवं मैत्री पैरावेट्स की सहायता से इस सूची के आधार पर सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए समस्त पशुपालकों तक इन वीडियोज को पहुँचाया जाता रहेगा।

11- मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन :-

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश इस योजना के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए नोडल विभाग होगा। प्रशिक्षण से पूर्व चयनित पशुपालकों एवं क्षेत्र के अन्य समस्त पशुपालकों के मोबाइल फोन नं0 सहित विवरण सूची पशु चिकित्सालय स्तर पर तैयार की जायेगी जिसमें उनके पशुधन संख्या, प्रकार एवं कुल वार्षिक उत्पादकता अंकित होगी। इसी प्रकार प्रशिक्षण के एक वर्ष पश्चात् पुनः इस सूची के आधार पर उत्पादकता दर्ज की जायेगी जिससे उत्पादकता में वृद्धि का मूल्यांकन पशु चिकित्सालय स्तर पर हो सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जनपदवार उपलब्धियों की मॉनीटरिंग जिला नोडल अधिकारी (मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी) द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जाएगी और राज्य नोडल अधिकारी के साथ साझा की जाएगी। आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण विषयों की समीक्षा विभागीय अधिकारियों, फील्ड अधिकारियों एवं पशुपालकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर की जायेगी।

12- <u>योजना का प्रभाव :-</u>

प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रदेश के पशुपालकों को पशुपालन के क्षेत्र में नवीन तकनीकी की जानकारी के साथ-साथ वैज्ञानिक तरीके से पशु प्रबंधन का कार्य करने हेतु प्रेरित किये जाने तथा पशुपालन एवं चारा उत्पादन व संरक्षण आदि के क्षेत्र में जागरूक एवं प्रशिक्षित किये जाने से प्रदेश के पशुपालक नवीन पशु प्रबंधन तकनीकी एवं रोग नियंत्रण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर अपने पशुपालन प्रबंधन को और बेहतर कर सकेंगे। इससे उत्पादकता में सुधार के साथ-साथ उद्यमिता एवं क्षमता का विकास होगा, जिससे पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-168/2025/1618(1)/सैंतीस-2-2025-1(14)/2024, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।